



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-752/1353

रायपुर, दिनांक 29/06/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining of NTPC Limited area- 8.795 ha. regarding.

पंजीयन क्र. FP/CG/RAIL/35461/2018

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-II/ROCH-04/2020-NGP/19 नागपुर दिनांक 31.03.2021
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक /1519 दिनांक 17.06.2021

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मण्डल अन्तर्गत MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining of NTPC Limited हेतु प्रस्तावित रकबा 8.795 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है, जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

S.No.	Conditions	Compliance
I	Legal status of the forest land shall remain unchanged;	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान द्वारा सहमति एवं वचन पत्र दी गई है।
II (a)	Compensatory afforestation a. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 17.590 ha. Degraded forest land in comp No. 190 at Village- Pulsada, Division-Raigarh, Dist -Raigarh at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Raigarh District shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 17.590 हे. के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर वर्ष 2019-20 की दर राशि रु. 726270.00 अनुसार राशि रु. 12775090.00 (रुपये एक करोड़ सताईस लाख पछहत्तर हजार नब्बे) मात्र तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की दर रु. 798897.00 अनुसार अंतर की राशि रु. 1277508.00 (रुपये बारह लाख सतत्तर हजार पांच सौ आठ रुपये) मात्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 14052598.00 (रुपये एक करोड़ चालिस लाख बावन हजार पांच सौ अन्तान्चे मात्र) कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल में माध्यम से RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1947012310 दिनांक 09.04.2021 एवं RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1969854562

216

		दिनांक 03.06.2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है (संलग्नक-1)।
b	The Penal CA over equivalent 1.4 ha degraded forest area shall be raised and maintained by State Forest Department at the cost of project.	दाण्डिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 की लागत अनुसार प्रति हे. 726270.00 की दर से रकबा 1.400 हे. का राशि रु. 1016778.00 (रुपये दस लाख सोलह हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की दर रु. 798897.00 अनुसार अंतर की राशि रु. 1016778.00 (रुपये दस लाख सोलह हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) दाण्डिक वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 1118456.00 (रुपये ग्यारह लाख अठारह हजार चार सौ छप्पन मात्र) कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल में माध्यम से RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1947012310 दिनांक 09.04.2021 एवं RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1969854562 दिनांक 03.06.2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है (संलग्नक-2)।
III	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गड़ाकर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि अनुसार रु. 1532819.00 (रुपये पन्द्रह लाख बत्तीस हजार आठ सौ उन्नीस)मात्र वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 089845 दिनांक 02.06.2021 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है।
IV(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 8.795 Ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008. and 09-05-2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) में आंकलित राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 28. 03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 के आदेशानुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यपवर्तित की जाने वाली वनभूमि रकबा 8.795 हे. मे से खुला वन रकबा 7.446 हे. भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास- III खुला वन अनुसार प्रति हे. 626000.00 अनुसार राशि रु. 4661196.00 (रुपये छियालीस लाख इक्सठ हजार एक सौ छियान्वे) मात्र एवं सघन वन रकबा 1.349 हे. भूमि (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास- III सघन वन अनुसार प्रति हे. दर रु. 803000.00 अनुसार राशि रु. 1083247.00 (रुपये दस लाख तिरासी हजार दो सौ सैतालिस) मात्र कुल राशि रु. 5744443.00 (रुपये सन्तावन लाख चौवालीस हजार चार सौ तिरालीस) मात्र कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई पोर्टल के माध्यम से RTGS क्रमांक Ref. No. CMS1947012310 दिनांक 09. 04.2021 को आवेदक संस्थान के द्वारा जमा कर दिया गया है।

IV(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) अतिरिक्त राशि देय होती है, तो संस्थान द्वारा जमा किया जावेगा। इस आशय का संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-3)।
V	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the tree shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by User agency with State Forest Department.	आवेदक संस्थान द्वारा सहमति दी गई है। 422 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 574300.00 (पांच लाख चौहत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र) वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 089845 दिनांक 02.06.2021 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है (संलग्नक-4)।
VI	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	उपरोक्तानुसार समस्त राशि Ad-hoc CAMPA कार्पोरेशन बैंक में ई-पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कराकर जमा किया गया है। इस हेतु संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
VII	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-5)।
VIII	The User Agency in consultation with the state forest department shall review the existing Wildlife Conservation Plan and if any additional requirements are needed, same shall be added and implemented under the instant proposal.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-6)।
IX	To improve the Forest / Tree cover and to reduce pollution, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 25,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed project, User Agency shall voluntarily distribute remaining 50% of seedlings to them free of cost. A compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-7)।

X	Speed regulating signage will be erected along the railway line at regular intervals in the Protected Areas / Forest Areas.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-8)।
XI	The user Agency in consultation with forest department shall provide under /over pass for safe passage of wild animals at suitable places as per wildlife of institute of India's manual entitled "Eco-friendly measures to mitigate impacts of linear infrastructure on wildlife" published in 2016;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-9)।
XII	User agency shall obtain Environment clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त कर ली गयी है। छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-10)।
XIII	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
XIV	No labour camp shall be established on the forest land;	संस्थान द्वारा वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
XV	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	संस्थान द्वारा श्रमिकों को ईंधन उपलब्ध कराया जावेगा, ताकि वनस्पतियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो इस हेतु संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)।
XVI	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	संस्थान द्वारा सहमति दिया गया है। वचन पत्र संलग्न है। 422 वृक्षों के विदोहन हेतु प्राक्कलन अनुसार राशि रु. 574300.00 (पांच लाख चौहत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र) वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ के नाम से डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 089845 दिनांक 02.06.2021 प्राप्त कर पी.डी. खाते में जमा कर दिया गया है (संलग्नक-14)।
XVII	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
XVIII	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।
XIX	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-17)।
XX	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	भारत सरकार के अनुमति के बिना प्रस्तावित व्यपवर्तित भूमि को किसी भी व्यक्ति, विभाग या एजेंसी को हस्तांतरण नहीं किया जावेगा। इस हेतु संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है (संलग्नक-18)।

XXI	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-19)।
XXII	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-20)।
XXIII	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को अप्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- संलग्नक 1 से 73 तक
एक प्रति में

वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 752/1354

रायपुर, दिनांक 29/06/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन), अरण्य भवन, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 31.03.2021 की शर्त क्रमांक XXIII सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है। किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नामर्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी. डी खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
4. **Chief General Manager**, NTPC Talaipali Coal Mining Project, Lailunga Road Gharghoda, Raigarh (C.G.).

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
छत्तीसगढ़